

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/3/2010

क्र./श.क./बी/संवि./64/2009/107

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के अन्तर्जिला संविलियन के कालम-5 तथा तालिका, के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर स्वेच्छा से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्रं.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण			कार्यरत एवं अर्तर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक		संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड
	नाम पद एवं कार्यरत संस्था	यूनिक आइ.डी. क्रमांक	संस्था / जिले का डाईस कोड	कार्यरत निकाय	संविलियन निकाय	
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीमती ज्योति बुनकर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. पिपलिया कुमार जिला-इंदौर	AM8241	23260513 202	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 6136दि.21.08.09	नगरपालिका परिषद गुना जिला - गुना जा.क्र. 3229 दि. 13.10.09 शा.क.मा.वि. केन्ट	23070916 902
2	श्रीमती वृषाली पगारे अध्यापक शा.प्रा.वि. सोमगांव जिला-खण्डवा	AO2282	23290408 701	जिला पंचायत पूर्व निमाड जिला- खण्डवा जा.क्र.4144दि. 08.06.09	जिला पंचायत होंशगाबाद जिला होंशगाबाद जा.क्र. 4768 दि. 15.06.09 शा.मा.वि. पगढाला	23370705 202
3	कु. पुष्पा ढाकिसया सहायक अध्यापक शा.मा.वि. लोनी जिला-बुरहानपुर	AF2930	23480208 803	जनपद पंचायत बुरहानपुर जिला बुरहानपुर जा.क्र. 85 दि.26.02.09	जनपद पंचायत खण्डवा जिला - खण्डवा जा.क्र. 1606 दि. 20.07.09 शा.क.प्रा.शा. बेडियांव	23290400 501
4	श्रीमती विमला जोशी अध्यापक शा.मा.वि. धामनिया जिला-नीमच	AS6914	23180710 902	जिला पंचायत नीमच जिला नीमच जा.क्र. 1273दि.18.02.09	जिला पंचायत इंदौर जिला - इंदौर जा.क्र. 2046 दि. 26.02.09 शा.मा.वि. सोनवाय	23260509 702
5	श्री संतोष कुमार चौहान सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.मा.वि. हीड़ी जिला-उज्जैन	BE3314	23210413 302	जनपद पंचायत खांचरौद जिला उज्जैन जा.क्र. 1710दि.16.10.09	जनपद पंचायत देपालपुर जिला - इंदौर जा.क्र. 3677 दि. 20.10.09 शा.प्रा.वि. पितावली शा.प्रा.वि. काई शा.प्रा.वि. छडौदा	23260320 201
6	श्रीमती अनिता चिड़ार अध्यापक शा. मा.वि. विछिया जिला-सागर	BS3815	23111124 502	जिला पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 853 दि.22.08.09	जिला पंचायत विदिशा जिला- विदिशा जा.क्र. 319 दि. 26.11.09 शा.मा.शा. घोसुआ	23310204 002
7	श्रीमती ओमश्री सरयाम अध्यापक शा.मा.शा. बानाबेहरा जिला-छिंदवाड़ा	AG8075	23430416 502	जिला पंचायत छिंदवाड़ा जिला छिंदवाड़ा जा.क्र.4196 दि.01.09.09	जिला पंचायत बैतूल जिला- बैतूल जा.क्र. 9094 दि. 10.11.09 शानवीन हाईस्कूल खदारा	23350788 809


8	श्रीमती स्वाती राठौर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कोलमगहन जिला-मण्डला	AQ3545	23420502 805	जनपद पंचायत मण्डला जिला मण्डला जा.क्र.529 दि 23.07.09	जनपद पंचायत फन्दा भोपाल जिला- भोपाल जा.क्र. 171 दि. 05.02.10 शा.प्रा.शा. तारासेवनिया	23320202 501
9	श्रीमती मंजुलता शर्मा अध्यापक शा.मा.वि. खीमपुरा जिला-शाजापुर	BA4973	23220307 102	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.4513दि 13.11.09	जिला पंचायत राजगढ़ जिला- राजगढ़ जा.क्र. 1886 दि. 23.11.09 शा.मा.वि. धानोदा	23300605 401
10	श्रीमती रूचि चौरसिया अध्यापक शा.मा.वि. नीछमा जिला-शाजापुर	BA3071	23220607 403	जिला पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 3427-ए दिनांक 25.08.09	जिला पंचायत इंदौर जिला- इंदौर जा.क्र. 1440 दि. 16.02.10 शा.मा.वि. सोनवाय	23260509 702
11	श्रीमती दीपा विश्वकर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. रोहनी जिला- दमोह	AH9474	23120609 501	जनपद पंचायत जबेश जिला- दमोह जा.क्र. 115 दि.12.6 09	जनपद पंचायत फन्दा जिला - भोपाल जा.क्र. 3980 दि. 03.11.09 शा.प्रा.शा. जमुनिया छीर	23320209 501
12	श्रीमती सविता खरे सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. लकलका जिला- दमोह	AH7518	23120302 701	जनपद पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र.4932 दि 18.7.09	जनपद पंचायत जबलपुर जिला -जबलपुर जा.क्र. 1808 दि. 23.07.09 शास.प्रा.शा. इन्द्रा	23390112 001
13	श्रीमती सरिता सिंह अध्यापक शा.मा.वि. चदवली-1 जिला- भिण्ड	BG2598	23030207 202	जिला पंचायत भिण्ड जिला भिण्ड जा.क्र.7081 दि 5.11.09	जिला पंचायत ग्वालियर जिला -ग्वालियर जा.क्र. 11832दि. 24.10.09 शा.मा.वि. गिरवाई	23040307 802
14	श्रीमती सीमा शर्मा अध्यापक (गणित) शा.न.मा.वि. भरौली जिला-अशोकनगर	AC3436	23460714 402	जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क्र. 4375दि.04.08.09	नगरपालिक निगम भोपाल जिला - भोपाल जा.क्र. 139 दि. 10.11.09 शा. मा.वि. बरखेड़ी खुर्द	233203036 34
15	श्रीमती अलका तेकाम वरि. अ.(जीव विज्ञान) शा.क.उ.मा.वि. गोरझामर जिला-सागर	AY2055	23110677 704	जिला पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 1145 दि. 14.09.09	जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन जा.क्र. 8250दि. 08.09.09 शा.उ.मा.वि. ताजपुर	23210766 607
16	श्रीमती रजनी यादव सहायक अध्यापक शा.मा.वि. नई गढिया जिला-रायसेन	AT5139	23340216 202	जनपद पंचायत बेगमगंज जिला-रायसेन जा.क्र. 846दि. 04.07.09	नगर पंचायत बण्डा जिला-सागर जा.क्र. 347दि. 07.07.09 शा.प्रा.क.शा. बण्डा	23110915 819
17 प र र प र क 18	श्री श्रीनिवास व्यास अध्यापक शा.मा.वि. दावरदेही जिला-शिवपुरी	BA9440	23060709 702	जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 4300दि.07.07.09	जिला पंचायत मुरैना जिला-मुरैना जा.क्र. 1779 दि. 30.06.09 शा.उ.मा.वि. दतहरा	23020377 707
	श्रीमती आशा राजौर अध्यापक शा.उ.मा.वि. दतहरा जिला-मुरैना	AR 4915	23020377 707	जिला पंचायत मुरैना जिला मुरैना जा.क्र. 1779दि.30.06.09	जिला पंचायत शिवपुरी जिला शिवपुरी जा.क्र. 4300दि.07.07.09 शा.मा.वि. दावरदेही	23060709 702

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।



2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने को पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनाण्टि प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
12. संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो।**
“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”



 उप संचालक 18/3/10
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 18/3/2010

पृ.क्र./शि.क./बी/संवि./64/2009/108
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों** के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें। संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को **दिनांक 01.04.2010 के बाद संबंधित निकायों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था हेतु कार्यमुक्त किया जाए।**



8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


18/3/10
उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश